



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/SER-1839/DL/2/2024-RU-IV

दिनांक : 19.01.2026

सेवा में,

सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
दिल्ली जीएनसीटी पुराना सचिवालय,
विधानसभा के पास, दिल्ली, 110054
E.mail: pstedu@nic.in

विषय: लगभग 15 माह से निलंबित चल रहे, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत श्री हरि सिंह मीना, व्याख्याता (हिंदी), राजकीय वरिष्ठ बाल विद्यालय, मंगोलपुर खुर्द, दिल्ली को उनके पद पर पुनः बहाल करने के संबंध में- श्री हरि सिंह मीना, सी-168/ए, समता एन्कलेव, कुतुब विहार, फेज-1, नई दिल्ली का पत्र/अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)

उप सचिव / Deputy Secretary

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री हरि सिंह मीना,
सी-168/ए, समता एन्कलेव,
कुतुब विहार, फेज-1,
बड़ा आटा चक्की के पास,
नई दिल्ली - 110071,
Mobile No:7042535005

PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-1839/DL/2/2024-RU-IV

अभ्यावेदक श्री हरि सिंह मीना, व्याख्याता (हिंदी), राजकीय वरिष्ठ बाल विद्यालय, मंगोलपुर खुर्द, दिल्ली-110083 को उनके पद पर पूर्ण बहाल करने के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 02.12.2025 को 04:30 बजे अपराह्न
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

श्री हरि सिंह मीना, सी-168/ए, समता एन्कलेव, कुतुब विहार, फेज-1, नई दिल्ली के दिनांक 18.12.2024 के मेल/पत्र द्वारा आयोग में प्राप्त हुआ है। इसमें श्री मीना ने शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत अपने लगभग 15 माह के निलंबन को चुनौती देते हुए उन्हें व्याख्याता (हिंदी) पद पर पुनः बहाल करने के संबंध आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। श्री मीना ने अपने अभ्यावेदन में आगे यह उल्लेख किया है कि विभागीय जांच में उनके विरुद्ध शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अधिकारी एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए हैं तथा यह आरोप उन्हें केवल परेशान करने के लिए लगाए गए हैं। उन्हें निलंबन आदेश जारी होने के 15 महीने बीत जाने के बाद भी गुजारा भत्त की राशि को 50 प्रतिशत से न बढ़ाकर जस का तस रखा हुआ है। इससे इनकी पारिवारिक स्थिति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है तथा उनके बच्चियों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने आयोग से सेवा में पुनः बहाली का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में तथ्यों की जानकारी हेतु आयोग द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को दिनांक 26.12.2024 को नोटिस जारी किया गया था। तत्पश्चात मामले में दिनांक

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
राज्य सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

1 | Page




16.05.2025 को सुनवाई आयोग में सम्पन्न हुई | सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्न आनुशंसा की गयी थी :-

1. इस मामले में प्रार्थी विभागीय जांच में पूर्णतया सहयोग करेंगे ताकि जांच का जल्द से जल्द निपटान किया जा सके |
2. शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने आयोग को आश्चस्त किया है की वे सकारात्मक कार्यवाही कर 30 दिवस में सभी रेपोर्ट्स आयोग को प्रेषित करेंगे |
3. मामले में विभाग ने अपने जवाब में बताया की श्री हरी सिंह मीणा, पीजीटी (हिंदी) को 21.09.2023 को कदाचार के आरोपों पर सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 10 के अंतर्गत निलंबित किया गया था तथा 05.10.2023 को नियम 14 के अंतर्गत आरोपपत्र जारी किया गया, जिसमें अधिकारियों के प्रति अभद्र भाषा प्रयोग, आपत्तिजनक टिप्पणी तथा छात्र से दुर्व्यवहार जैसे आरोप शामिल हैं। विभाग द्वारा 04.12.2023 को श्री ब्रह्म प्रकाश को प्रस्तुतिकरण अधिकारी तथा 05.12.2023 को डॉ. प्रमोद चंद्र कटियार को जांच प्राधिकारी नियुक्त किया गया। जांच की कई तिथियाँ नियत हुईं, परंतु श्री मीणा द्वारा असहयोग एवं परिजनों को रक्षा सहायक बनाने के अनुरोध के कारण प्रगति प्रभावित हुई, यद्यपि विभाग ने स्पष्ट किया है कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का जाति-आधारित भेदभाव नहीं हुआ। शिक्षा सचिव ने जांच को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। निलंबन समीक्षा समिति ने 20.05.2025 को निलंबन समाप्त करने की संस्तुति की, जिसे 21.05.2025 को अनुमोदित किया गया, और श्री मीणा ने 23.05.2025 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। विभाग से प्राप्त उक्त जवाब की प्रति अभ्यावेदक को भेजी गई थी जिसपर असहमति व्यक्त करते हुए उनके द्वारा प्रतिउत्तर आयोग को प्रेषित किया गया था
4. तत्पश्चात मामले पर शिकायतकर्ता के लगातार अनुरोध पर आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ दिनांक 02.12.2025 को सिटिंग की गई जिसमें अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली व् प्रार्थी उपस्थित रहे व् दोनों पक्षों ने अपने तथ्य आयोग के समक्ष रखे |
5. शिकायतकर्ता ने सुनवाई के दौरान बताया की उनके मामले में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी मुख्य सचिव दिल्ली सरकार है जबकि उनको निदेशक, शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा निलंबित किया गया है जो अनुचित है तथा उनके खिलाफ की जा रही विभागीय जांच भी नियम विरुद्ध है उन्होंने यह भी बताया की उनको अभी तक निलंबन समय का पूरा भत्ता नहीं दिया गया है
6. मामले में सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के प्राधिकारी गण ने अवगत कराया की श्री मीणा के मामले में की जा रही विभागीय जांच पर, सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्धारण/ विनिश्चयन हेतु

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1839/DL/2/2024-RU-IV

Sitting to be held on **02.12.2025** at **04.30 P.M.**- लगभग 15 माह से निलंबित चल रहे, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत श्री हरि सिंह मीना, व्याख्याता (हिंदी), राजकीय वरिष्ठ बाल विद्यालय, मंगोलपुर खुर्द, दिल्ली को उनके पद पर पुनः बहाल करने के संबंध में- श्री हरि सिंह मीना, सी-168/ए, समता एन्क्लेव, कुतुब विहार, फेज-1, नई दिल्ली का दिनांक 18.12.2024 का पत्र/अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I National Commission for Scheduled Tribes			
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member'	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II Officers from O/o Secretary, Education Department, Old Secretariat, GNCT, Delhi			
1.	Vikas Kalia, Asst. Dir.	9891307020	
2.	Dr. Prasad Kabra	9868975262	
3.	Aakash Chauhan	9599277058	
4.			
5.			
6.			
III Petitioners			
1.	Hari Singh Meena	7042535005	
2.			